

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 399] नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, सितम्बर 15, 1977/भाद्र 24, 1899

No. 399] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 1977/BHADRA 24, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

Rubber Control

New Delhi, the 15th September 1977

S O. 671(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), read with rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government hereby notifies that Sarvashri Dinen Bhattacharya and George Mathew, Members of Parliament, have been elected by the House of the People to be members of the Rubber Board, Kottayam 9 and further specifies that they shall hold office for the period commencing from the date of publication of this notification in the Official Gazette and ending with the 21st February, 1978, or for so long as they continue to be members of the House of the People, whichever is less

[No F 15/3/73-Plant (B)]

T. V. ANTONY, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

रबड़ नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 मितम्बर, 1977

का० प्रा० 671 (अ).—रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के साथ पठित, रबड़ अधिनियम 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह अधिसूचित करती है कि सर्व श्री दिनेन भट्टाचार्य और जार्ज मैथ्यू, मंसद सदस्य, लोक सभा द्वारा रबड़ बोर्ड, कोर्टयम-9 के सदस्य चुने गए हैं और आने यह निर्दिष्ट करती है कि वे राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होकर 21 फरवरी 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, अथवा तब तक के लिए जब तक वे लोक सभा के सदस्य बने रहें, उनमें से जो भी अवधि कम हो, उसके लिए, पद पर बने रहेंगे ।

[स० फा० 15(3)/73-प्लान्ट (बी)]

टी० बी० एन्टोनी, सयुक्त सचिव ।